



10/7/22

पंजाबली स्वयं प्रार्थीया व कबील प्रार्थी
के प्रारूप पर पंजाबली शिगर से तलब
की प्रकटा में प्रार्थीया ने एक प्रारूप
पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व
प्रिपोजीमण के मध्य आपसी सम्बन्ध
हो जाने से प्रार्थीया उक्त प्रकटा के
आगे कोई कामवाही नहीं चाली है।

~~मानव संसाधन~~
12


तारीख हुक्म	न्यायालय सप्लाइ अधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियलस जज जे.ए. (मालवाड) प्रकटा 232/22 प्रार्थी मानव संसाधन विभाग प्रार्थीया	नाम आर हुक्म नं. 12
	<p>प्रकटा में कबील प्रार्थीया व स्वयं प्रार्थीया की बतलू फुली बतलू पर मनन किया प्रकटा में स्वयं प्रार्थीया उक्त आगे कोई कामवाही नहीं चाले से प्रार्थीया का प्रारूप इस तरह पर खारिज किया जा रहा है। प्रकटा में दिनांक 13/09/2022 को जारी एक प्रकीय अध्याय निषेधना स्तर मिरल माना जाये। पंजाबली फलव श्रुमार होकर फुली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">  उपपण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर जे.ए. </p>	